9/18/00020

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजूः– 08.02.2018

मु0न0 09/18

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

भगवान सिंह पुत्र ग्यारस्या गूर्जर निवासी तिलहरी की ढाणी तिधरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली। (सायल)

बनाम

1. नरसी पुत्र हरिसिंह गूर्जर
2. बाबू पुत्र हरिसिंह गूर्जर
3. श्री पुत्र हरिसिंह गूर्जर
4. महेन्द्र पुत्र बाबूसिंह गूर्जर
5. भूपेन्द्र पुत्र नरसी गूर्जर
6 दर्शन पुत्र नरसी गूर्जर
7. रवि पुत्र नरसी गूर्जर

निवासीयान तिलहरी की ढाणी तिधरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली (गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रार्थी

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः– 20.02.2020

सायल की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तिधरिया की आराजी साबिक ख0न0 797 रकवा 2 बीघा 5 बिस्वा जिसमे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन ख0न0 1136/0.11, 1137/0.03, 1139/0.09, 1140/0.05, 1149/0.09, 1148/1670/0.05, 1138/1671/0.09 कुल किता 7 कुल रकवा 0.56 है0 मे सायल बहिस्सा 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है साबिक ख0न0 798 रकवा 6 बिस्वा जो सरकारी सिवायचक आराजी थी को सरकार जरिये जिला कलक्टर स0मा0 के पत्रांक क/3/8/राज/83 दिनांक 2.6.1985 को राजकीय प्राथमिक विधालय तिधरिया (तिलहरी की ढाणी) के नाम अलोटमेन्ट कर दी तथा उसमे विधालय भवन बनाकर कब्जा राज्य सरकार प्राथमिक विधालय का चला आ रहा है। आराजी सायल की आराजी साबिक ख0न0 797 के पूर्व की और स्थित है तथा साबिक ख0न0 798 के दक्षिण मे भी सायल की भूमि ख0न0 797 स्थित है तथा सायल की आराजी ख0न0 797 के कुछ भाग 798 के पूर्व मे रास्ता जो ग्राम तिधरिया से गढी मोसमाबाद की तरफ जाता है , स्थित है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौजूदा ख0न0 1139/1669 रकवा 7 है0 राजकीय प्राथमिक विधालय तिलहरी की ढाणी तिधरिया तरमीम किया है।

यह है कि ख0न0 855 गै0मु0 रास्ता जो विधालय व सायल की आराजी साबिक ख0न0 797, 798 के पूर्व मे होकर एकदम सीधा उत्तर दक्षिण जाता है। रिकार्ड मे मुताबिक रास्ता ख0न0 1091 रकवा 21 ऐयर उत्तर दक्षिण सीधा नही होकर रास्ते की स्थिति मे परिवर्तन कर दिया है उक्त परिवर्तन की आड मे गैरसायलान रास्ते की आराजी तथा विधालय की आराजी ख0न0 1139/1669 पर कब्जा कर लिया है। मौजूदा सीट मे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा परिवर्तन करने पर सायल व अन्य गैरसायलान द्वारा एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

भगवान सिंह बनाम सरकार वगै0 के विरूद्व न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम मे प्रस्तुत किया हुआ है। जिसमे न्यायालय द्वारा दिनांक 6.7.2004 को डिक्री पारित की गई तथा उसके निष्पादन के लिये सायल द्वारा कार्यवाही कर दी गई तथा उसका निष्पादन की कार्यवाही स्पष्ट तौर पर नही होने की वजह से गैरसायलान के हौसले बुलन्द है तथा गैरसायलान द्वारा रास्ते की आराजी , विधालय की आराजी पर कब्जा कर सायल की आराजी पर कब्जा करने की धमकी दे रहे है। बॉका दिनांक 28.1.18 का है कि गैरसायलान सायल की आराजी मे नीव खोदने लगे तो सायल की पत्नि द्वारा मना करने पर अभद्र व्यवहार व पत्थर बाजी करने लगे। तथा ऐलानिया कहा कि अभी तो हमने रास्ते व स्कूल की जमीन पर ही कब्जा किया है तथा तुम्हारे रास्ते को ही बन्द किया है अब तुम्हे टंकी भी नही बनाने देगे तथा तुमने कानूनी कार्यवाही की तो तुम्हारी आराजी पर कब्जा कर निर्माण करेगे। इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैर कानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

प्राईमाफेसी केश सायल के पक्ष मे है सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान का अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को ता फैसला दावा इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे स्कूल के साबिक ख0न0 798 के अनुरूप नये नम्बरान 1139/1669 तथा साबिक ख0न0 855 के अनुरूप नये गैर मु0 रास्ते 1091 मे किये गे कब्जे को हटाले तथा उस पर कोई निर्माण कार्य नही करे तथा सायल की आराजी 797 के अनुरूप मौजूदा ख0न0 1136, 1137, 1139, 1140, 1149, 1148/1670, 1138/1671 कुल किता 7 कुल रकवा 0.56 है0 ग्राम तिलहरी की ढाणी तिधरिया मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे, उस पर कब्जा नही करे तथा उस पर कब्जा कर निर्माण नही करे तथा ऐसा कोई कार्य नही करे नाही किसी अन्य से करावे। मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान की और से जरिये वकालतन जबाब इस प्रकार पेश किया कि मद न0 2 मे दर्ज आराजीयात स्वीकार है व बॉका दिनांक 28.1.18 की घटना अस्वीकार है उक्त दिनांक को कोई धमकी नही दी। नाही नीव खोदकर निर्माण किया। सायल का केस प्राईमाफेसी साबित नही है नाही सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे है बल्कि गैरसायलान के पक्ष मे है तथा अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी गैरसायलान के पक्ष मे होने के कारण प्रार्थना पत्र सायल मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। सायल वकील ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायल का हिस्सा 1/4 है, आराजी ख0न0 798 रकवा 0.06 है0 राजकीय विधालय को आवंटित है। जिससे गैरसायल का कोई वास्ता नही है। गैरसायलान को मेरी खातेदारी की जमीन की कब्जे काश्त मे बाधा नही करने के लिये पाबन्द फरमाया जावे। वकील गैरसायल ने कथन किया कि सायल विधालय की आराजीयात पर दावा एवं टी. आई की आड मे विधालय की आराजी पर कब्जा करना चाहते है। विधालय की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 22.07.2004 के अनुसार विधालय की आराजी पर भगवान सिंह का कब्जा करना बताया गया है। ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ने विधालय की आराजी का सीमाज्ञान कराने के लिये वर्ष 2007 मे तहसीलदार टोडाभीम को आवेदन भी पेश किया है। सायल विधालय की आराजी पर कब्जा करना चाहता है इसलिये सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम तिधरिया की जमाबन्दी सम्वत 2054–57 के खाता संख्या 2 की आराजी ख0न0 1136/0.11, 1137/0.03, 1139/0.09, 1140/0.05, 1149/0.09, 1148/1670/0.05, 1138/1671/0.09 कुल किता 7 कुल रकवा 0.56 है0 मे सायल हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार है। तथा साबिक आराजी ख0न0 798 रकवा 6 बिस्वा सिवायचक भूमि को जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 02.06.1985 से राजकीय प्राथमिक विधालय तिधरिया (तिलहरी की ढाणी) को आवंटित हो चुकी है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार इसका नवीन ख0न0 1139/1669 रकवा 0.07 है0 बना है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम तिधरिया की जमाबन्दी सम्वत 2054–57 के खाता संख्या 2 की आराजी ख0न0 1136/0.11, 1137/0.03, 1139/0.09, 1140/0.05, 1149/0.09, 1148/1670/0.05, 1138/1671/0.09 कुल किता 7 कुल रकवा 0.56 है0 मे सायल हिस्सा 1/4 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। गैरसायलान का इससे कोई संबध नही है। तथा ख0न0 1139/1669 रकवा 0.07 है0 राजकीय प्राथमिक विधालय तिधरिया तिलहरी की ढाणी की आराजी है।

अतः गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम तिधरिया की आराजी ख0न0 1136/0.11, 1137/0.03, 1139/0.09, 1140/0.05, 1149/0.09, 1148/1670/0.05, 1138/1671/0.09 कुल किता 7 कुल रकवा 0.56 है0 मे सायल के हिस्सा 1/4 के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। तथा सायल व गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि राजकीय प्राथमिक विधालय तिधरिया तिलहरी की ढाणी की आराजी ख0न0 1139/1669 रकवा 0.07 एवं रास्ते के उपयोग मे ली जा रही भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी/व्यवधान उत्पन्न नही करे।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

20/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:15:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: